प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता) बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी झुन्झुनूं** थाना **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर** वर्ष **2023**
प्र0सू0रि0 सं. ....235/2023.................... दिनांक ....29/08/2023..........

2.(i) अधिनियम......**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018**...... धारायें .... **7** ....
(ii) अधिनियम............ .... धारायें...
(iii) अधिनियम.. धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या..............587.................... समय ....7:20 P.M....
(ख) अपराध घटने का दिन **सोमवार** दिनांक :– 28.08.2023 समय **03.38 पी.एम** .
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– **लिखित**

5. घटनास्थल :– **पुलिस चौकी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी कलां, जिला, झुन्झुनूं।**
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **उत्तर दिशा में करीब 80 कि.मी.**
(ब) पता :– **ग्राम भालोठ, तहसील बुहाना, जिला, झुन्झुनूं।**
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– **श्री राकेश कुमार**
(ब) पिता/पति का नाम :– **श्री सोमदत्त**
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– **40 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता– .... **भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– . ...
(ल) पता :– **निवासी ढाणी भालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1– श्री रमेश कुमार पुत्र श्री काशीराम, उम्र 54 साल जाति, ब्राहम्ण, निवासी गांव बेरला (चिमा का बास), पुलिस थाना सुरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि0 2630, पुलिस चौकी प्रभारी भालोठ पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... **रिश्वती राशि 10,000/ रूपये**................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय जी,

निवेदन है कि दिनांक 25.08.2023 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास मोबाईल नम्बर 8890079018 से मेरे मोबाईल नम्बर 7726863086 पर फोन आया व बताया कि मेरा नाम राकेश कुमार है। मै ढाणी भालोठ का रहने वाला हूँ। मैने मेरी मोटर साईकिल छिना झपटी होने की रिपोर्ट पुलिस थाना पचेरी में दी थी जिसकी जांच भालोठ

चौकी इंचार्ज रमेश कुमार कर रहा है जिसने मेरी मोटर साईकिल दिलाने के लिए मेरे से रिश्वत मांग रहा है जिन्हे मै रिश्वत नही देना चाहता हूँ बल्कि श्री रमेश कुमार चौकी इंचार्ज भालोठ को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने बताया कि मै झुंझुनूं नही आ सकता हूँ जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को बताया कि आपके पास हमारे कार्यालय के कर्मचारी को भिजवा रहा हूँ। परिवादी ने बताया कि मै पचेरी बस स्टेण्ड पर मिल जाउंगा। मामला रिश्वत मांग का बनना पाया जाता है। रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना है, मांग सत्यापन के बाद जो स्थिति होगी उस पर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुमार सानु कानि.न0 138 को बुलाकर कार्यालय का डिजीटल रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड को चैक करने के बाद खाली होने की पुष्टि होने पर उक्त कानि. को सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8890079018 दिये एवं परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन की कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत कर पचेरी रवाना किया गया। समय करीब 03.43 पी.एम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कुमार सानु ने जरिये मोबाईल बताया कि मै परिवादी से बस स्टेण्ड पचेरी कलां पर मिला जिनके साथ रवाना होकर गांव ढाणी भालोठ पहुँचा। परिवादी ने मुझे लिखित प्रार्थना पत्र दिया। मैने परिवादी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चलाने व बन्द करने की विधि समझाई व डिजिटल टेप रिकार्ड की फर्द बनाकर डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को सुपूर्द कर भालोठ पुलिस चौकी के पास पहुँच परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस चौकी में रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया जिससे मैने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त किया। परिवादी ने बताया कि मै पुलिस चौकी भालोठ में गया जहां श्री रमेश जी चौकी इंचार्ज मिले जिनसे मैने मेरे काम के संबंध में बात की तो रमेश जी ने मेरी मोटर साईकिल दिलवाने के लिए मेरे से पहले 12 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की तथा बाद में 11 हजार रुपये तथा बाद में 10 हजार रुपये रिश्वत लेने की कही जो मैने उन्हे कल देने के लिए कही है। परिवादी ने बताया कि मुझे घर पर जरुरी काम है इसलिए मै आज आपके का कार्यालय में नही आ सकता हूँ। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को कल 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेकर एसीबी कार्यालय झुंझुनूं में उपस्थित होने के लिए बताया तथा श्री कुमार सानु कानि0 को परिवादी को छोडकर आफिस आने की हिदायत की गई। तत्पचात कानि अली हुसैन न0 573 को सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झुंझुनूं के नाम तहरीर दी जाकर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया था जो स्वतंत्र गवाह श्री सत्यबीर सिंह पुत्र श्री मोहन लाल सींगड, उम्र 55 साल जाति जाट निवासी 3/128, हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनूं हाल छात्रावास अधीक्षक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व श्री सुशील कुमार सैनी पुत्र श्री शिवनाथ सैनी, उम्र 30 साल जाति माली, निवासी ग्राम मोहबतसर, पोस्ट चैलासी पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझुनूं हाल कनिष्ठ सहायक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी झुंझुनूं को साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। दोनो स्वतंत्र गवाह को कल दिनांक 26.08.2023 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रुखसत किया गया। समय 06.50 पी.एम पर श्री कुमार सानु कानि0 उपस्थित कार्यालय आया तथा परिवादी श्री राकेश कुमार द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र, फर्द सपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पेश कर हालात से अवगत कराया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य ये थे कि ''सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं विषय भ्रष्ट पुलिस अधिकारी रमेश शर्मा चौकी इंचार्ज भालोठ को रिश्वत लेने हेतु रंगे हाथ पकडवाने हेतु। महोदय निवेदन है कि मै राकेश कुमार पुत्र श्री सोमदत्त उम्र 40 साल जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं का रहने वाला हूँ। मैने दिनांक 18.06.2023 को पचेरी थाना में मेरी मोटर साईकिल आरजे 53 एसए 2224 छीना झपटी करके ले जाने के सबंध में रिपोर्ट दी थी यह रिपोर्ट भालोठ चौकी में भेजी गई। भालोठ चौकी इंचार्ज श्री रमेश शर्मा मेरे से मेरी मोटर साईकिल को दिलवाने के लिए 12000 रुपये की मांग कर रहा है। मै उसे रुपये नही देना चाहता हूँ। मै उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी रमेश शर्मा चौकी ईंचार्ज कोई उधार लेनदेन नही है और न ही कोई रंजीश है कानुनी कार्यवाही करे। एस.डी.

राकेश कुमार पुत्र श्री सोमदत्त उम्र 40 साल निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं मो0न0 7494892203, 8890079018। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल टेप रिकार्डर को चला कर सुना तो रिकार्ड वार्ता में रिश्वत मांग की पुष्टी होना पाई गई। परिवादी का प्रार्थना पत्र व डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कोर्ड को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 26.08.2023 को परिवादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सोमदत्त उम्र 40 साल जाति खाती निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं कार्यालय में उपस्थित आया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी राकेश कुमार से दरियाफ्त पर पूछताछ की तो बताया कि मेरी मोटर साईकिल न0 आरजे 53 एसए 2224 के छिनाझपटी की रिपोर्ट पुलिस थाना पचेरी में दी थी जिसकी जांच श्री रमेश कुमार हैड कानिस्टेबल चौकी इंचार्ज भालोठ कर रहे है। उन्होने मेरी मोटर साईकिल दिलवाने की एवज में मेरे से 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे। इस संबंध में मैन आपको कल दिनांक 25.08.2023 को जरिये मोबाईल बताया था। कल आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री कुमार सानु पचेरी कलां बस स्टेण्ड पर आये जिनको साथ लेकर हम दोनो भालोठ गये जहां मैने श्री रमेश कुमार चौकी इंचार्ज भालोठ के विरुद्ध कानुनी कार्यवाही करने हेतु लिखित रिपोर्ट पेश की थी। श्री कुमार सानु ने मुझे डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड देकर चालु व बन्द करना बताया। मैने डिजिटल टेप रिकार्डर को चालु कर मेरे कार्य संबंधि बात करने पुलिस चौकी भालोठ में गया जहा मेरी श्री रमेश जी हैड साहब से मेरे काम के संबंध में बात हुई। रमेश जी हैड साहब ने मेरी मोटर साईकिल दिलवाने के लिए पहले मेरे से 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा बाद में 10 हजार रुपये में सौदा तय हुआ है। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को प्रार्थना पत्र दिखाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित होना बताया। कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता व परिवादी द्वारा बताई गई वार्ता की ताईद होती है। अभी तक स्वतंत्र गवाह उपस्थित नही आये है, गवाह के आने पर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यवीर सिंह छात्रावास अधीक्षक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व श्री सुशील कुमार सैनी कनिष्ठ सहायक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी झुंझुनूं कार्यालय उपस्थित आये। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री राकेश कुमार का दोनो स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया तथा अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमती प्राप्त की गई। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पचात परिवादी श्री राकेश कुमार द्वारा आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि. चौकी प्रभारी भालोठ की दिनांक 25.08.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को अलमारी से निकाल कर श्री कुमार सानु कानि0 न0 138 से दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से तीन सीडी तैयार की गई। एक सीडी को एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क ''ए'' अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो सीडी आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री राकेश कुमार ने एक आवाज स्वयं की व एक आवाज आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि. की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड जो SANDISK 16 जी.बी. को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शिल्ड कर मार्क ''ए–1'' अंकित किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर गये। शिल्ड पैकेट मार्क 'ए', ''ए–1'' व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री राकेश कुमार को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से 10,000/– रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच–पॉच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/– रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाये गये। कार्यालय कक्ष का छत पंखा बन्द करवाकर उक्त नोटो पर श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 511 से कार्यालय

की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर मंगवाकर अखबार के उपर सभी नोटो पर हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री सुशील कुमार सैनी से परिवादी श्री राकेश कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 10,000/- रूपये के नोट श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 न0 511 से परिवादी की पहनी हुई सर्ट की आगे की बाई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री राकेश कुमार को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास के रंगीन घोल को बाहर फिकवाया गया। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। प्लास्टिक डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था को जलाकर नष्ट किया गया। पानी व साबुन से श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व सभी ट्रेप पार्टी सदस्यो के हाथ धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास कुल नग 10 व कॉच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय की डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया जिसमें कोई आवाज नहीं है, उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री राकेश कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पचात परिवादी श्री राकेश कुमार ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि यहा से पुलिस चौकी भालोठ जाने में करीब 1.30 धण्टा लगता है। श्री रमेश कुमार हैड कानि0 शाम के समय में अपने गांव चला जाता है इसलिए वो अब चौकी पर नही मिलेगा तथा आज कार्यवाही किया जाना संभव नही है। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने श्रीमती सुमित्रा महिला कानि से परिवादी की उपर की जेब में रखी रिश्वती राशि निकलवाकर एक लिफामें में डालकर अलमारी में सुरक्षित रखवाई। परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त किया गया। परिवादी राकेश कुमार व दोनो स्वतंत्र गवाह को कल 9.00 ए.एम. पर कार्यालय में आने कि हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 27.08.2023 को परिवादी श्री राकेश कुमार व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यवीर सिंह व श्री सुशील कुमार सैनी उपस्थित कार्यालय आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमती सुमित्रा महिला कानि. न0 511 से रिश्वती राशि जो एक कागज के लिफाफे में कार्यालय की आलमारी में रखी हुई थी को निकलवाई गई। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री सुशील कुमार से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा और कोई वस्तु नही रहने दी गई। रिश्वती राशि 10 हजार रुपये के नोटो का मिलान श्रीमती सुमित्रा से दोनो गवाहान से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी के मुताबिक होना बताये। रिश्वती राशि 10 हजार रुपये के नोट को श्रीमती सुमित्रा से परिवादी की पहनी सर्ट की आगे की बाई जेब में रखवाई गई। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, श्रीमती सुमित्रा व सभी ट्रेप पार्टी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन घुलवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री राकेश कुमार, श्री सुभाष चन्द सउनि, श्री ईशाक मौहम्मद न0 40, श्री कुमार सानु न0 138 मय प्राईवेट वाहन के तथा श्री अली हुसैन न0 573, त्रिलोक सिंह न0 24, स्वतंत्र गवाह श्री सत्यबीर सिंह, श्री सुशील कुमार सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री सुरेन्द्र कुमार, लेपटॉप, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, पानी की केन के गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हो गांव भालोठ से पहले दोनो वाहनो को साईड में रुकवाकर परिवादी से आरोपी का गोपनीय रुप से मालुमात करवाया गया तो परिवादी ने मालुमात कर बताया कि आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि अभी पुलिस चौकी भालोठ में उपस्थित नही है जो बाहर गया हुआ है, जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान रवाना होकर नारनौल रोड पर मुकिम हुये। तत्पचात समय 05.50 पी.एम. पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक

मय हमराहियान के रवाना होकर कस्बा बुहाना के पास पहुँचे। आज ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नही है। परिवादी श्री राकेश कुमार ने बताया कि मुझे घर पर जरुरी कार्य होने से जाना है। परिवादी की सर्ट की आगे की बाई जेब में रखी रिश्वती राशि 10 हजार रुपये परिवादी से निकलवा गवाहान के समक्ष गिनकर एक सफेद लिफाफे में रखकर सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाये गये। परिवादी व सभी ट्रेप पार्टी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत की कि जब भी आरोपी आपसे सम्पर्क करे तो जरिये मोबाईल अवगत करावे। परिवादी को वही छोडकर मन् अति0 अति पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना होकर एसीबी कार्यालय झुंझुनूं पहुँचे। सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में लिफाफे में रखे पाउडर लेगे नोटो को श्रीमती सुमित्रा महिला कानि. से आलमारी में सुरक्षित रखवा अलमारी के ताला लगवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 28.08.2023 को परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मैने आज गोपनीय तौर पर मालुमात किया है कि आज श्री रमेश कुमार हैड कानि. पुलिस चौकी भालोठ पर आयेगा इसलिए आप बुहाना आ जाओ। मै आपको कस्बा बुहाना में मिल जााउंगा। जिस पर स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यवीर सिंह व श्री सुशील कुमार सैनी को कार्यालय में अविलम्ब आने हेतु बताया गया। स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यवीर सिंह व श्री सुशील कुमार सैनी तलबिदा उपस्थित कार्यालय आये। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने श्रीमती सुमित्रा महिला कानि से पाउडर लगे 10,000 रुपये जो एक लिफाफे में डालकर अलमारी में रखे गये थे को अलमारी से निकलवाकर उनके पास बैग में रखवाये गये। सभी ट्रेप पार्टी सदस्यो के हाथ साबुन व पानी से धुलवाये गये। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री सुभाष चन्द सउनि, श्री कुमार सानु, श्रीमती सुमित्रा महिला कानि., सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार मय लेपटाप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, साबुन, पानी की केन, ट्रेप बाक्स तथा दुसरी प्राईवेट गाडी से श्री अली हुसैन कानि, त्रिलोक सिंह कानि, श्री ईशाक मौहम्मद स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यवीर सिंह व श्री सुशील कुमार सैनी मय पानी की केन के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर कस्बा बुहाना पहुँच परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी बुहाना से बाहर सतनाली रोड पर उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि आज मैने गोपनीय रुप से मालुम किया है कि श्री रमेश कुमार हैड कानि0 अभी तक पुलिस चौकी भालोठ पर नही आये है। जिस पर परिवादी को हमरा लेकर सतनाली जाने वाली रोड के साईड में दोनो वाहन को खडा कर मुकिम हुये। तत्पश्चात समय 02.05 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8890079018 का स्पीकर ऑन कर आरोपी के मोबाईल न0 9460843294 पर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि ने 10 मिन्ट में चौकी पर पहुँचने के लिए कहा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। परिवादी श्री राकेश कुमार की तलाशी गवाह श्री सुशील कुमार से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नही रहने दी गई। महिला कानि0 सुमित्रा से पाउडर लगी रिश्वती राशि 10,000 रुपये लिफाफे में से निकलवाकर कर दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बर अंकित फर्द के अनुसार सही होना बताया। श्री रमेश कुमार हैड कानि को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रुपये श्रीमती सुमित्रा महिला कानि. से परिवादी की पहनी हुई शर्ट की आगे की बाई जेब में रखवाये गये। परिवादी को उक्त रिश्वत राशि को नही छुने तथा परिवादी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर देने के लिए बताया गया। श्रीमती सुमित्रा महिला कानि. व समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता रिकार्ड करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द किया गया। श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 को एसीबी कार्यालय झुंझुनूं के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के सतनाली रोड से रवाना होकर गांव भालोठ पुलिस चौकी के पास समय करीब 03.25 पी. एम. पर पहुँकर वाहनो को साईड में रुकवाया। परिवादी को श्री रमेश कुमार हैड कानि के पास पुलिस चौकी भालोठ के लिए रवाना किया गया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री सुभाष चन्द सउनि व श्री कुमार सानु को रवाना किया गया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक व शेष ट्रेप पार्टी सदस्य पुलिस चौकी के आसपास परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम

हुये। समय करीब 03.38 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री कुमार सानु द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को साथ लेता हुआ पुलिस चौकी भालोठ के मुख्य गेट पर पहुँचे जो बन्द था चौकी के पूर्व की साईड की मेन रोड पर परिवादी उपस्थित मिला जिसको साथ लेकर, चौकी की पश्चिम साईड में एक छोटा गेट बना हुआ है जिसमें दरवाजा नही लगा हुआ है जिसमें प्रवेश कर अन्दर गये तो कमरे के पीछे की तरफ गये तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया व खुली जगह पर एक व्यक्ति खडा मिला जिसकी तरफ ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति रमेश कुमार हैडकानि0 है। आज मै पुलिस चौकी के अन्दर गया जहां चौकी के पीछे की तरफ बने कमरे में हैड साहब तखत पर सो रहे थे जिनसे मैने मेरे काम के संबंध में बात की तो वो तखत पर बैठ गये व मेरे काम के सबंध मे बात करने लग गये। श्री रमेश जी हैड साहब ने मेरे से रुपये मांगे जिस पर मैने पाउडर लगे रिश्वती राशि 10,000 रुपये मेरी पहनी हुई शर्ट की उपर की बाई जेब से निकालकर दिये जिन्होने रिश्वती राशि अपने दाहिने हाथ से लेकर दोनो हाथो से गिनकर कमरे में रखे लकडी के तख्त पर लगे बिस्तर के नीचे रख दिये तथा मेरे से बाते करता हुआ कमरे से बाहर चौक में आ गये। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने उस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उसका परिचय व परिवादी से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछने पर उसने घबराते हुये अपना नाम श्री रमेश कुमार पुत्र श्री काशीराम, उम्र 54 साल जाति, ब्राहम्ण, निवासी चिमा का बास, पुलिस थाना सुरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि0 2630, चौकी प्रभारी भालोठ पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनूं होना बताया व रिश्वती राशी के बारे में बताया कि श्री राकेश कुमार की मोटर साईकिल श्री सुरेश पण्डित निवासी हरियाणा लेकर गया था वह मोटर साईकिल दिलवाने के लिए मैने श्री राकेश कुमार से 10,000 रुपये लिये है जो मैने मेरे हाथ से लेकर गिनकर कमरे लकडी के लखत पर बिछे गद्दे के नीचे रख दिये। पास में खडे परिवादी ने उक्त वार्ताओ का खण्डन करते हुये कहा कि मैने पुलिस थाना पचेरी पर 18.06.2023 को मेरी मोटर साईकिल के छिना झपटी की रिपोर्ट दी थी। जिस पर श्री रमेश कुमार हैड कानि ने मेरी मोटर साईकिल दिलवाने की एवज में दिनांक 25.08.2023 को पहले 12 हजार फिर 11 हजार रुपये की मांग की थी तथा बाद में 10,000 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था जो आज मैने मांग के अनुशरण में 10,000 रुपये रिश्वत के दिये हैं। तत्पश्चात रिश्वती राशि लकडी के तखत पर बिछे गद्दे पर नीचे गवाह श्री सुशील कुमार से तलाश करवाई गई तो गवाह ने गद्दे को उठाकर देखा तो गद्दे के नीचे तखत पर पांच–पांच सौ रुपयो की थई दिखाई दी। रिश्वति राशि लेने की पुष्ठि होने पर श्री अली हुसैन कानि0 से आरोपी का बाया हाथ तथा आरोपी का दाहिना हाथ कलाईयो से उपर श्री कुमार सानु कानि. से पकड़वाया गया। तत्पश्चात श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के दोनों हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलासो को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि. के बायें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी व दूसरे गिलास में आरोपी के दाहिने हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिनको दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क एल–1, एल–2 एवं आर–1, आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लासों को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि जो लकडी के तखत पर गद्दे के नीचे रखी हुई थी को गवाह श्री सुशील कुमार से उठवाई जाकर गिनवाई गई तो गवाह ने पांच–पांच सौ रुपये के 20 नोट कुल 10,000 रुपये होना बताया। बरामद रिश्वती राशि दोनो गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर मुताबिक फर्द हुबहु पाये गये जो फर्द में निम्न प्रकार है।

1. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 1 CM 041915
2. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 RK 569197
3. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 RL 235339

4. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 1 PD 233871
5. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 GQ 074598
6. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 FH 957067
7. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 FG 325636
8. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 TR 938582
9. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 BQ 152421
10. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 1 NA 778120
11. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 AT 436401
12. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 DE 244453
13. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 WB 627652
14. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 UK 498514
15. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 GL 760530
16. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 PW 284451
17. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 1 GE 256072
18. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 AU 946821
19. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 MP 989741
20. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 FW 646532

बरामद शुदा उपरोक्त 10,000 रूपयों के नोटों को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात कानि. ईशाक मौहम्मद के दोनो हाथ एवं एक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास, कांच की दो शिशिया को पानी व साबुन से धुलवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया। एक रुई के फोवे को उक्त घोल में डुबोकर जिस स्थान से रिश्वती राशि बरामद हुई है, उस स्थान पर घुमाया जाकर रुई के फोवे को तैयार रंगहीन घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया, जिसको दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क टी–1, टी–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास को नष्ट करवाया गया। रुई के फोवे को सुखाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क "बी" अंकित किया गया। परिवादी श्री राकेश कुमार के कार्य के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी श्री रमेश कुमार हैड ने बताया कि श्री राकेश कुमार का मेरे पास कोई कार्य पैण्डिंग नही है। पुलिस थाना पचेरी में राकेश कुमार ने कोई मोटर साईकिल की छिनाझपटी की कोई रिपोर्ट दी हो तो मुझे पता नही है तथा इस संबंध में थाने से मुझे कोई सूचना भी नही मिली है। जिस पर श्री अलीहुसैन कानि. 573 को परिवादी की शिकायत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना पचेरीकला, जिला झुंझुनूं से लाने हेतु रवाना किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पुलिस थाना पचेरी में पेश की गई थी। उक्त शिकायत परिवादी ने आरोपी के मोबाईल पर जरिये वाट्सअप आना बताया है एवं परिवादी से आरोपी की मोबाईल नम्बर 9460843294 कम्पनी बीएसएनएल से वार्ताएं हुई है। मौके पर आरोपी के मोबाईल REALME 3I को चलाकर वाटसअप देखा गया तो परिवादी से सम्बन्धित शिकायत वाटसअप में नही मिली। आरोपी के मोबाईल में उक्त नम्बर के अलावा एक और सीम है जिसके नम्बर 9352484143 कम्पनी जीओ की लगी हुई है। मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जायेगा। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में प्रार्दश सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राशसील पीतल नं. 21 का नमूना तीन

कागजों पर अलग से लिया जाकर उन पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर एक कागज नमूना ब्राशसील पीतल नं. 21 गवाह श्री सत्यबीर सिंह को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब की गई। पीतल की ब्राशसील पीतल नं. 21 का नमूना फर्द पर अंकित शामिल कार्यवाही की गई। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री काशीराम, उम्र 54 साल जाति, ब्राहम्ण, निवासी गांव बेरला (चीमा का बास) पुलिस थाना सुरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि0 2630, चौकी प्रभारी भालोठ पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में जुर्म से अवगत करवाकर हस्ब कायदा जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। श्री अली हुसैन कानि. पुलिस थाना पचेरी कलां से परिवादी राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत शिकायत की फोटो प्रति प्राप्त कर लाया व बताया कि मूल शिकायत पुलिस थाना पचेरी कलां के एच.एम. कार्यालय पत्रावली में संलग्न है जिसे पुलिस थाना पचेरी पहुॅच जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी रमेश कुमार हैड कानि0 का मोबाईल REALME 3I आईएमईआई नम्बर 865094040085596 एवं 865094040085588 जिसमें मोबाईल नम्बर 9460843294 बीएसएनएल कम्पनी एवं मोबाईल नम्बर 9352484143 जीओ कम्पनी की सीम लगी हुई, बरंग नीला को बतौर वजह सबुत जप्त कर शिल्ड कर मार्क "सी" अंकित किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राकेश कुमार द्वारा दिनांक 28.08.2023 को रिश्वत लेन देन से पूर्व अपने मोबाईल नम्बर 8890079018 का स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि के मोबाईल न0 9460843294 पर फोन लगाकर वार्ता की गई तथा वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी राकेश कुमार व आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि, चौकी प्रभारी भालोठ के मध्य रुबरु हुई वार्ता को परिवादी द्वारा कार्यालय की डिजीटल टेपरिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई बातचीत को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटाप के माध्यम से तीन सीडी तैयार की गई। एक सीडी को कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क "डी–1" अंकित किया गया। आरोपी व अन्वेषण हेतु एक–एक खुली सीडी रखी गई तथा मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप का रूपान्तरण श्री कुमार सानु द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री राकेश कुमार ने एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि. चौकी प्रभारी पुलिस थाना पचेरी कलां की आवाज होने की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर सील्ड किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "डी" अंकित किया गया। सील्ड पैकेट मार्क "डी" व मार्क "डी–1" व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही में प्रार्दशों को सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राश सील नं. 21 को श्री अली हुसैन न0 573 से तुडवाई गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि. पुलिस चौकी भालोठ, परिवादी श्री राकेश कुमार मय जप्तशुदा माल वजह सबुत मय ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप सरकारी व प्राईवेट वाहन से पुलिस चौकी भालोठ से रवाना होकर पुलिस थाना पचेरी कलां पहुॅचे। परिवादी श्री राकेश कुमार की मूल शिकायत दिनांक 18.06.2023 श्री कुलदीप सिंह हैड कानि 2513 द्वारा पेश की गई का अवलोकन किया गया तो शिकायत की मूल प्रति फोटो प्रति प्रमाणित करवाकर श्री कुलदीप हैड कानि से जरिये फर्द प्राप्त की गई। मूल शिकायत श्री कुलदीप सिंह हैड कानि को सुपूर्द की गई। परिवादी श्री राकेश कुमार को पचेरी से रवाना किया गया। समय 11.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय

हमराहियान व ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि. पुलिस चौकी भालोठ मय जप्तशुदा माल वजह सबुत मय ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप सरकारी व प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना पचेरी कलां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय झुंझुनूं पहुँच प्रकरण के माल वजह सबुत मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री काशीराम, उम्र 54 साल जाति, ब्राहम्ण, निवासी गांव बेरला (चिमा का बास), पुलिस थाना सुरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि0 2630, पुलिस चौकी प्रभारी भालोठ पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुंझुन द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सोमदत उम्र 40 साल जाति खाती, निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू की मोटरसाईकिल छिना छपटी की शिकायत पुलिस थाना पचेरीकलां में परिवादी द्वारा की गई थी। आरोपी श्री रमेश कुमार ने परिवादी की मोटर साईकिल दिलवाने के एवज मे दिनांक 25.08.2023 को 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 28.08.2023 को आरोपी श्री रमेश कुमार हैड कानि. को परिवादी से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा है। आरोपी श्री रमेश कुमार ने परिवादी के वैध कार्य को करने की ऐवज में अवैध पारितोषण की मांग करना एवं मांग की अनुशरण में रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडा है जिसका उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः आरोपी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री काशीराम, उम्र 54 साल जाति, ब्राहम्ण, निवासी गांव बेरला (चिमा का बास), पुलिस थाना सुरजगढ जिला झुंझुनूं हाल हैड कानि0 2630, पुलिस चौकी प्रभारी भालोठ पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुंझुन के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है।

(इस्माईल खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झुन्झुनूं।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री काशीराम निवासी गांव बेरला (चिमा का बास) पुलिस थाना सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल हैड कानि. 2630, पुलिस चौकी प्रभारी भालोठ पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 235/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

29.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2686-89 दिनांक 29.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम सं.2 जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक जिला झुंझुनूं।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं।

29.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।